भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4385
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

4385. श्रीमती प्रमिला बिसाईः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) स्कीम की शर्तों को पूरा किए बिना ही देश में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को कवर करने वाला कार्यक्रम आरंभ करने की योजना बना रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार पीएमएमवीवाई के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन को बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू व एलएम) को कुछ शर्तें पूरा करने पर तीन किश्तों में पांच हजार रूपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है । पात्र लाभार्थी संस्थागत प्रसव के पश्चात जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने के भी हकदार होते हैं ताकि प्रत्येक महिला को औसतन 6 हजार रूपये प्राप्त हो सकें । इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं आंगनवाड़ी सेवाओं, जो कि अम्ब्रैला समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीमे के अंतर्गत केंद्रीय प्रयोजित योजना है, के अतंर्गत अनुपूरक पोषण प्राप्त करने की भी हकदार है। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनवाड़ी सेवा योजना इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है ।
(ख) और (ग) : जी नहीं, मातृत्व लाभों की किश्त जारी करने से संबंधित शर्तें गर्भवती महिलाओं के बीच स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार को सुधारने के लिए है ।
(घ) : वर्तमान में, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किए जा रहे मातृत्व लाभ बढाने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

*****